न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी– बिन्दू बाला राजावत आर० ए० एस०

प्रकरण संख्या 39/2010 वाद
दायर दिनांक 17.02.2010
निर्णय दिनांक 22.12.2025

अनवान

समस्त माफीदारान, ग्राम ओडा
1– रामगोपाल पिता नंदलाल सनाढय मृतक के बजाये
1/1– मंजुलता पुत्री रामगोपाल पत्नि प्रकाशचन्द्र सनाढय, निवासी कठेरा की चौकी, परिक्रमा नाथद्वारा जिला राजसमंद
1/2– दिनेश पिता स्व0 रामगोपाल सनाढय, निवासी ओडा, तहसील रेलमगरा
1/3– रजनीकान्ता पुत्री स्व0 रामगोपाल पति देशबन्धु सनाढय, निवासी जाट मोहल्ला, नाथद्वारा जिला राजसमंद
1/4– स्नेहलता पिता स्व0 रामगोपाल पति सतीशचन्द्र सनाढय, निवासी उदयपुर
1/5– राकेश पिता स्व0 रामगोपाल सनाढय, निवासी ओडा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

वादीगण

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा
2– अधिशाषी अभियंता सिंचाई विभाग, कांकरोली
3– विकास अधिकारी पंचायत समिति, रेलमगरा
4– सरपंच ग्राम पंचायत चौकडी, तहसील रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत्– स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से – परसराम जाट,
प्रतिवादीगण की ओर से –चावण्ड सिंह शक्तावत,

: : निर्णय : :

वाद वादीगण ने विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम ओडा तहसील रेलमगरा में स्थित तालाब नामी मोजेला जिसके पुराने खाता नम्बर 311 रकबा 146–16 बीघा तथा पाल जिसके पुराने खाता नम्बर 310 रकबा 8–14 बीघा है समस्त माफीदारान के स्वत्व व आदिपत्य की हैं। नवीन भू–प्रबंध में तालाब समस्त माफीदारान के नाम यथोचित रूप से अंकित हो गया, परन्तु पाल जिसका कि नवीन भू–प्रबंध के अनुसार नम्बर 556 व 249 बने सिंचाई विभाग के नाम अंकित हो गई। नवीन भू– प्रबंध में पाल के सम्बन्ध में किया गया, यह अंकन नितान्त त्रुटि पूर्ण और आधार हीन हैं। इस त्रुटि पूर्ण अंकन से वादीगण के स्वत्वों पर भारी आघात पहुचने की संभावना उत्पन्न हो गई हैं। ऐसी अवस्था में वादीगण तालाब तथा पाल में अपना स्वत्व घोषित

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

करवाने पाल के अंकन में शुद्वि करवाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादीगण की ओर से विधिवत नोटिस क्रमशः दिनांक 15/02/1975 व 17/02/1975 को प्राप्त कराये गये हैं जिसका प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उत्तर अब तक प्राप्त न होने से यह वाद हेतु उत्पन्न हुआ हैं। विवाद ग्रस्त पाल व तालाब वादीगण के स्वत्व का घोषित किया जा कर अंकन में शुद्वि की जाकर वादीगण के नाम अंकन किया जा कर स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावें। प्रतिवादी की तरफ से अपने प्रतिवाद में वाद को अस्वीकार करते है, विशेष उतर में बताया है कि विवाद ग्रस्त तालाब जागीर रिजूमान एक्ट 1957 ई– के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया था, इसके बाद से तालाब व पाल पर सिंचाई विभाग का लगातार आधिपत्य व उपभोग था इस तालाब से सिचाई होने के कारण सन 1960–61 से सिंचाई शुल्क भी लगातार सिंचाई विभाग कांकरोली वसूल करता था तथा मरम्मत व राशि का व्यय भी समय समय पर करता था। अधिग्रहण के वादीगण का इस पाल पर कोई आधिपत्य व उपभोग स्वत्व नही रहा तथा समस्त स्वत्वाधिकार व आधिपत्य सिंचाई विभाग में विहित हो गये इन्ही अधिकारो से वह पाल पर खडे वृक्षों का उपयोग करता था। विवाद ग्रस्त तालाब व पाल से 50 एक्कड से कम की सिचाई होने से दिनांक 18/08/1975 को पंचायत समिति रेलमगरा को हस्तांतरित कर दिया गया है तथा वही उसका उपयोग कर रही हैं। सिंचाई विभाग का अब इस तालाब से कोई सम्बन्ध नही रहा जिसका कि वादीगण को ज्ञान है परन्तु जान बुझ कर पंचायत समिति रेलमगरा को आवश्यक पक्षकार नही बनाया गया है जिसके बिना यह वाद चलने योग्य नही हैं। वाद अवधि के परे है सिंचाई विभाग 15 वर्ष से भी अधिक समय से पाल पर काबिज रहा था, तथा वादीगण का नोटिस धारा 80 जा0 दी0 के तहत वैध नही है, तथा वाद ग्रस्त पाल पर वादीगण का आधिपत्य नही है न ही वादीगण ने आधिपत्य की दाद मांगी हैं। अतः वाद निरस्त किये जाने योग्य हैं।

वाद प्रतिवाद व दस्तावेजात के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः–

1– आया ग्राम ओडा तहसील रेलमगरा में स्थित पूर्व बदोबस्त के अनुसार तालाब नामी मोजेला आराजी नम्बर 311 रकबा 146–19 बीघा वादीगण के खाते व आधिपत्य की थी।

जिम्मे वादीगण

2– आया आराजी नम्बर 310 रकबा 8–14 बीघा जो तालाब नामी मोजेला की पाल होकर वादीगण के खाते व आधिपत्य की थी।

जिम्म वादीगण

3– आया नवीन भू प्रबंध में उपरोक्त भूमि आराजी नम्बर 310 के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग के नाम पर किया गया अंकन त्रुटि पूर्ण है।

जिम्म वादीगण

4– आया वाद ग्रस्थ भूमि पर वादीगण का आधिपत्य चला आ रहा है।

जिम्म वादीगण

5– आया तालाब की पाल में राज्य व सिंचाई विभाग का कोई स्वत्व नही है।

जिम्म वादीगण

6– आया धारा 80 जा0 दी0 के अन्तर्गत दिया गया नोटिस विधिवत नही है।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

7- आया पंचायत समिति रेलमगरा इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी

8- आया सिंचाई विभाग 15 वर्ष से भी अधिक समय से वाद ग्रस्त पाल पर काबिज होकर अपने रचत्वाधिकार व आधिपत्य का लगातार उपयोग करने से वाद अवधि से बाहर है। प्रतिवादी

9- आया वादग्रस्त पाल पर वादीगण का आधिपत्य नही है, ओर इस कारण यह वाद निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी

पक्षकार के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकी वार निर्णय इस प्रकार है:-

तनकी संख्या 01 जिममे वादी होकर अपनी तनकियात के सर्मथन में वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकले जमाबन्दी EXP-1 मेवाड बन्दोबस्त व EXP-2 खेवट संख्या 2023-76 पेश की हैं। प्रतिवादीगण की तरफ से कोई दस्तावेज पेश नही हुऐ है, पूर्व बन्दोबस्त के बारे में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही की गई है, पूर्व बन्दोबस्त मेवाड स्टेट में हुआ था उस वक्त माफी दारी की प्रथा थी इस वास्ते मालिक भूमि के खाने में EXP-1 के समस्त माफीदार लिखा हुआ है आराजी नम्बर 311 खुद काश्त में दर्ज हैं। EXP-2 खेवट संख्या 2023-76 में मालिक का नाम राजस्थान सरकार दर्ज हैं। व कृषक के खाने में समस्त माफीदारों के बजाय समस्त ब्राहम्ण सा- देह दर्ज है, इस अवधि तक माफीदारान की प्रथा भी खत्म हो गई थी तथा इस आराजी के सम्बन्ध में कोई विवाद भी नही हैं। जहां तक आधिपत्य का प्रश्न है माफीदारान को इस जमीन के खुद काश्त के लिए स्वभाल करने में जैसा कि EXP-1 में जो नोट लगा हुआ है उसमें पूर्व तय विदित हैं। अतः यह तनकी वादीगण के हक में निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 02 जिममे वादी होकर अपनी तनकियात के सर्मथन में वादीगण की ओर से EXP-1 व EXP-2 दस्तावेज पेश हुए हैं जिनसे जाहिर आया कि पूर्व के बन्दोबस्त में मालिक व खातेदार कृषक समस्त माफीदार थे EXP-2 में खातेदार कृषक समस्त ब्राहम्ण दर्ज है जहां तक आधिपत्य का सम्बन्ध है पूर्व बन्दोबस्त EXP-1 में समस्त माफीदारान का नाम बहेसिमत मालिक व खातेदार दर्ज हैं। जिससे यह प्रश्न निर्विवाद सिद्व होता है कि पूर्व के बन्दोबस्त के समय यह आराजी वादीगण के आधिपत्य व सा. देह की थी।

तनकी संख्या 03 जिम्मे वादीगण होकर अपनी तनकियात के सर्मथन में वादीगण की ओर से कोई दस्तावेज व साक्ष्य पेश नही हुई है जिनसे नये भू- प्रबन्ध के अंकन त्रुटिपूर्ण होने पर प्रकाश डाला हो इस सम्बन्ध में वादीगण की दलील यही है कि पुराने बन्दोबस्त के अनुसार यह आराजी हमारे खाते दर्ज थी, इस वास्ते नवीन के भी हमारे खाते दर्ज होनी चाहिये जो नही की गई हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि सन 1954 में जागीर प्रथा समाप्त हो गई ओर इसी आधार पर सिंचाई विभाग ने इस आराजी को अपने चार्ज में लेने की कारवाई प्रतिवादीगण द्वारा की गई, इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से EXP-1 के 15 दस्तावेजात पेश हुए है व 5 गवाहान साक्ष्य के पेश किये है जिन्होंने सन 1954

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

के रिकार्ड के आधार पर सिंचाई विभाग का कब्जा बताया हैं। जागीर समाज होने के बाद भी वादीगण का निरन्तर आधिपत्य इस आराजी पर रहा हो के सम्बन्ध में कोई प्रमाण पेश नही हुआ बल्कि वादी देवीलाल स्वंय ने अपने बयान में आधिपत्य सिंचाई विभाग का माना है जिससे पूर्णतया साबित है कि वक्त बन्दोबस्त सिंचाई विभाग का कब्जा था यह आराजी तालाब की पाल है पाल न हो तो तालाब का अस्तित्व भी नही रह सकता है, तालाब आम जनता के काम में आने वाली वस्तु है यह public purpose ,oa public ctitity का काम है, जिसकी हिफाजत पाल के द्वारा ही की जा सकती है, पाल की देख भाल व निगरानी नही होने से आम जनता को भारी क्षति हो सकती है और तालाब का purpose ही समाप्त हो सकता हैं। वादीगण की यह दलील कि नये बन्दोबस्त में तालाब की आराजी नम्बर 311 जब हमारे खाते हो गई तो यह आराजी भी हमारे खाते होनी चाहिये यह दलील वादीगण की मानवीय नही है क्योंकि आराजी में वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं, और तालाब में पानी नही रहने के बाद आराजी में काश्त से आम जनता पर कोई असर नही पडता हें तालाब का पानी सिंचाई के कार्य में आता है ओर सिंचाई का कंट्रोल तालाब की पाल से ही किया जा सकता जो आम जनता के हित में है जिसमें section 16 R.T.A. के तहत इस प्रकार की आराजीयात पर किसी को खातेदारी हक नही दिला सकते हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर नये बन्दोबस्त का अंकन त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है यह तनकी बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 04 जिममे वादी होकर अपनी तनकियात के सर्मथन में वादी स्वयं उसके गवाहान पेश हुए है तथा इस सम्बन्ध में इनकी ओर से कोई दस्तावेज पेश नही हुए हैं। वादी व उसके गवाहान ने पान पापडी के नीलाम करने व पाल की मरम्मत कराने से पाल पर अपना कब्जा जाहिर किया है मरम्मत कराने का हिसाब पेश नही किया है जब भी हिसाब रखना अपने बयान में जाहिर किया है देवीलाल ने बयान में हिसाब किताब रामगोपाल के कब्जे में होना बताया, रामगोपाल साक्ष्य में पेश हुआ जिसने हिसाब किताब देवीलाल के पास होना बताया है जिससे जाहिर आया है कि वादीगण स्वयं के बयानों में ही भारी अन्तर हैं। बम्बूलों की पान पापडी खरीदने वाले कलिंग, डूंगा, औंकार साक्ष्य में पेश हुए है, कलिंग ने लिखाया है मैंने पोरसाल पान पापडी खरीदी थी, देवीलाल सरपंच से खरीदी व रकम भी देवीलाल सरपंच को दी थी इसी प्रकार डूंगा व औंकार ने लिखाया है परार साल देवीलाल सरपंच ने नीलाम की थी ओर हमने रकम देवीलाल सरपंच को दी इससे पान पापडी खरीदने का कोई गवाह प्रस्तुत नही हुआ है देवीलाल स्वयं ने अपने बयान में यह लिखाया है,यह तालाब सिंचाई विभाग से लिये जाकर पंचायत समिति रेलमगरा के सुपुर्द होना चाहिये यह प्रस्ताव 15/07/1975 पंचायत ओडा ने पास किया था उस वक्त देवीलाल ही सरपंच था, पंचायत समिति ने सिंचाई विभाग से तालाब कब्जे में ले लिये ओर इसकी देख रेख पंचायत समिति रेलमगरा की है प्रस्ताव की प्रतिलिपि EXP-1 को भी अपने बयान में स्वीकार किया है प्रतिवादीगण की ओर से गवाहान पेश हुए है जिन्होंने जागीर समाप्त हो जाने के बाद से सिंचाई विभाग का कब्जा बताया है व सन 1975 से पंचायत समिति रेलमगरा का कब्जा होना बताया हैं। EXP-1 पंचायत का प्रस्ताव है जो सिंचाई विभाग से पंचायत समिति का कब्जा लेने के बाद व पारित किया गया है बाकि दस्तावेज पान पापडी वृक्षों की आमदनी की रकम जमा होने व पाल की मरम्मत कराने के खर्चे व नहर बनाने के खर्चे अकाल राहत कार्य जो इस आराजी पर किया गया

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

है उसके खर्चे का हिसाब 02/04/1954 से पाल पर काम कराने के सम्बन्ध में पेश किये है यह दस्तावेजात सरकारी रिकार्ड है जिसको गलत मानने का कोई आधार प्रतीत नही होता है सन 1975 में यह तालाब पंचायत समिति रेलमगरा को सिंचाई विभाग से सुपुर्द कर दिया गया वादीगण के गवाहान के आधार पर यह भी मान लिया जावे कि पोरसाल व परार साल देवीलाल वादी ने पान पापडी की रकम ली थी तो रिकार्ड से स्पष्ट है कि उस समय पंचायत समिति रेलमगरा को सुपुर्द किया जा चुका था ओर देवीलाल पंचायत ओडा का सरपंच था जो इस दावे में मुख्य वादी है इससे यही आशय निकलता है कि पान पापडी पंचायत समिति की ओर से नीलाम की गई थी वादीगण की ओर से सन 1954 के बाद से आधिपत्य का कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया है जिन्हें न मानने का कोई कारण नही हैं। व वादी देवीलाल स्वयं ने सिंचाई विभाग व पंचायत समिति रेलमगरा का कब्जा करना बताया है। अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्व वादीगण किया जाता हैं।

तनकी संख्या 05 जिममे वादी होकर अपनी तनकियात के सर्मथन में इस बाबत तनकी नम्बर 03 व 04 में पूर्ण तथ्य विवेचन किया जा चुका है उक्त विवेचन से यह तनकी वादीगण के विरूद्व सिद्व होती है।

तनकी संख्या 06 इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर था अतः यह तनकी इसी प्रकार निर्णित की जाती है। कि माफीदारान एक संस्था है और संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिये अन रजिस्टर्ड संस्था की ओर से दिया हुआ नोटिस अवैध है वादी का कथन है कि चूंकि समस्त माफीदारान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसके यह सामने है कि राज्य सरकार ने समस्त माफीदारान के अस्तित्व को मान्य है इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया गया कि माफीदारी प्रथा समाप्त होने के बाद उनकी जगह पर समस्त ब्राहम्णजात सा. देह दर्ज किया है जैसा कि EXP-1 से जाहिर है कि इस पर पक्षकारान ने जोर नही दिया है कि मुकदमे पर प्रभाव नही पडता हैं।

तनकी संख्या 07 इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर था इस सम्बन्ध में EXP-3 दस्तावेज पेश हुआ है, एंव गवाह DW-4 ग्राम सेवक पेश हुआ जो पंचायत समिति के तहत कर्मचारी है ओर उसने पंचायत समिति की ओर से सिंचाई विभाग से चार्ज लेना स्वीकार किया है नवम्बर 1975 में वादी स्वयं ने अपने बयान में लिखाया है कि पंचायत समिति ने तालाब सिंचाई विभाग से अपने कब्जे में ले लिया है व इस तालाब की देख रेख पंचायत समिति की है व गवाह DW-2 नन्दकिशोर विकास अधिकारी रेलमगरा पेश हुआ है जिसने यह तालाब पंचायत समिति रेलमगरा को तहसील में दिनांक 18/03/1975 से होना लिखाया है व सिंचाई विभाग से चार्ज में लेना लिखाया हैं। उक्त तथ्यो के आधार पर यह पूर्णतया सिद्व है कि पंचायत समिति आवश्यक पक्षकार है ओर आवश्यक पक्षकार के अभाव में यह प्रकरण चलने योग्य नही है, अतः यह तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 08 इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर था, कि सन् 1954 से वादीगण का अधिपत्य वादग्रस्त आराजीयात पर नही हे। दावा स्थाई निषेधाज्ञा का है,और दावा दिनांक 19.08.1976 को पेश किया है। और राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत स्थाई

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

निषेधाज्ञा का दावा पेश करने कि मयाद बारह साल है अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 09 इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर था, इस सम्बन्ध के किसी मजीद विवेचन की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। वादीगण द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे यह सिद्व होता हो कि वादीगण वादग्रस्त तालाब में पूर्व माफीदारीन हो, साथ ही वादीगण द्वारा वादपत्र में पूर्व तालाब के कोई प्रमाणिक दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किये गये है जो कि उक्त वाद के लिये आवश्यक व महत्व पूर्ण निर्णायक दस्तावेज हो सकते है। ऐसी स्थिति में वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपने वादपत्र को सिद्व करने में असफल रहे हैं। एंव वाद वादीगण के द्वारा केवल मात्र उक्त वाद के जरिये प्रतिवादीगण का उक्त तालाब नामी मोजेला जो रिकार्ड के आधार पर सिंचाई विभाग का कब्जा हैं, उसे हडपने की नियत से ही वादपत्र प्रस्तुत किया गया प्रतित होता है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण की उक्त तालाब नामी मोजेला में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नही की गई है जिससे वादीगण का वाद निरस्त होने योग्य हैं।

अतः प्रकरण में वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्व करने में असफल रहने से वाद बाबत् स्वत्व घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 के मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संख्यांक नं0 1

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 39 / 2010

अनवान

वादीपक्ष :–

1– समस्त माफीदारान, ग्राम ओडा

1– रामगोपाल पिता नंदलाल सनाढय मृतक के बजाये

1/1– मंजुलता पुत्री रामगोपाल पत्नि प्रकाशचन्द्र सनाढय, निवासी कठेरा की चौकी, परिक्रमा नाथद्वारा जिला राजसमंद

1/2– दिनेश पिता स्व0 रामगोपाल सनाढय, निवासी ओडा, तहसील रेलमगरा

1/3– रजनीकान्ता पुत्री स्व0 रामगोपाल पति देशबन्धु सनाढय, निवासी जाट मोहल्ला, नाथद्वारा जिला राजसमंद

1/4– स्नेहलता पिता स्व0 रामगोपाल पति सतीशचन्द्र सनाढय, निवासी उदयपुर

1/5– राकेश पिता स्व0 रामगोपाल सनाढय, निवासी ओडा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

बनाम

प्रतिवादी पक्षः–

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

2– अधिशाषी अभियंता सिंचाई विभाग, कांकरोली

3– विकास अधिकारी पंचायत समिति, रेलमगरा

4– सरपंच ग्राम पंचायत चौकडी, तहसील रेलमगरा

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अधि. 1955

उपस्थितः– वादी अधिवक्ता – परसराम जाट

प्रतिवादी अधिवक्ता –चावण्ड सिंह

मे इस आशय में दिनांक 22.12.2025 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा **88, 188** R.T.A. का दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्व करने में असफल रहने से खारिज किया जाता है।

आज दिनांक को 22.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा